This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 05 सितम्बर, 2025 / 14 भाद्रपद, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 अगस्त, 2025

संख्याः एफ.एफ.ई–बी–ए / 2 / 2025 / वन–बी.––हिमाचल प्रदेश सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित क्षेत्र इसके पारिस्थितिक, प्राणी–जात, वनस्पति जात, भू–आकृति विज्ञान–जात, प्राकृतिक या

प्राणी विज्ञान–जात के कारण उसमें वन्य जीव या उसके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्द्धन और विकास के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किए जाने की आवश्यकता है;

और, प्रस्ताव संख्याः डब्ल्यु एल / हिमाचल प्रदेश / अन्य / 438456 / 2023 द्वारा पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन के लिए 75.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवर्जित करते हुए 93.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित करने का प्रस्ताव तारीख 28 जुलाई, 2023 को परिवेश 2.0 पोर्टल पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था;

और, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के परिवर्तन के प्रस्ताव की सिफारिश राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा इसकी स्थाई समिति की अस्सीवीं बैठक, जो तारीख 09–10–2024 को आयोजित हुई, में की गई थी;

और, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, कुल 675 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 75.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (यथा उपाबन्ध–I से संलग्न सूची में तेरह ग्रीष्मकालीन उपनिवेश समाविष्ट) को एतद्द्वारा अपवर्जित किया जाता है और उसे संरक्षण आरक्षिति में परिवर्तित किया जाएगा तथा 93.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तददार्थ सम्मिलित किया जाता है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 35 की उप–धारा (5) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों को पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान गठित करने के उनके आशय की घोषणा करते हैं।

सीमा

उत्तरः– उत्तरी सीमा जिले की सीमा के सर्वाधिक शिखर 6526 मीटर की ऊंचाई से प्रारम्भ होती है, जो कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति जिले की सीमा है, और फिर हंगदुनमा रिज का अनुसरण करते हुए 6120 मीटर ऊँचाई तक जाती है, जहां जिले की सीमा 'V' आकार बनाती है। इसके बाद सीमा पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है और गुइंडी नदी (उत्तर में) तथा रतांग नदी (दक्षिण में) के जलग्रहण क्षेत्र को विभाजित करने वाली रिज का अनुसरण करती है। इसके पश्चात् सीमा पूर्व दिशा में बढ़ती है और शानुंबा नदी के जलग्रहण क्षेत्र को विभाजित करने वाली रिज का अनुसरण करती है, जो रतांग की एक सहायक नदी है और पूर्व में अवरोह की दिशा में स्थित है, तथा रतांग नदी के जलग्रहण क्षेत्र (पश्चिम में) की और बढ़ते हुए रतांग नदी के संगम तक पहुंचती है और फिर रतांग नदी को पार करती है। इसके बाद सीमा विपरीत दिशा में एक छोटी रिज का अनुसरण करते हुए 5700 मीटर की ऊचाई तक जाती है, और फिर दक्षिण–पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए 5703 मीटर तथा 5950 मीटर ऊंचाई तक, जोकि किडुल्चु नाले का शीर्ष है, पहुंचती है।

पूर्वः– किडुल्चु नाला के शीर्ष से, जो 5950 मीटर की ऊंचाई पर है, सीमा किडुल्चु नाला के संगम से पराहियो नदी तक जाती है। किडुल्चु नाला के संगम से सीमा उस रिज का अनुसरण करती है किडुल्चु नाला के जलग्रहण क्षेत्र (उत्तर में) और पराहियो नदी के जलग्रहण क्षेत्र (दक्षिण में) को विभाजित करती है, और 3908 मीटर तथा 4995 मीटर की ऊंचाई को स्पर्श करती है और ठाकरबो पर समाप्त होती है। इसके बाद सीमा खामींगर नदी की नाला रेखा का अनुसरण करती है और पराहियो नदी में मिलती है तथा पराहियो नदी को नीचे की और थिडिम तक अनुसरण करती है। थिडिम से, सीमा एक रिज का अनुसरण करती है जो किलुंग खड्ड के जलग्रहण क्षेत्र (दक्षिण में) और पराहियो नदी के जलग्रहण क्षेत्र (उत्तर में) को विभाजित करती है, और 5083 मीटर तक 5490 मीटर की

ऊंचाई को स्पर्श करते हुए धारबंग रिज के स्त्रोत तक पहुंचती है। इसके बाद सीमा धारबंग रिज का अनुसरण करते हुए लारंग ला तक जाती है, जिसकी ऊँचाई 5375 मीटर है। लारंग ला से सीमा पश्चिम की ओर बढ़ती है और उस रिज का अनुसरण करती है जो किलुंग खड्ड के जलग्रहण क्षेत्र (उत्तर में) और पिन नदी के जलग्रहण क्षेत्र (दक्षिण में) को विभाजित करती है, और 5885 मीटर की ऊंचाई को स्पर्श करती है तथा 5625 मीटर, और 5520 मीटर की ऊँचाई पर खूनी नाला, इसके बाद खूनी नाला से पिन नदी की सहायक नदीं का संगम होता है, वाली रिज का अनुसरण करती है। खूनी नाला सीमा 4708 मीटर ऊंचाई को छूती है, से पिन नदी की दो सहायक नदियों की रिज का अनुसरण करती है। इसके बाद 4340 मीटर की ऊंचाई पर पिन नदी की सहायक नदी तक नाले का अनुसरण करती है। तत्पश्चात् 4890 मीटर की ऊंचाई पर निमिश खांगों तक एक नाले का अनुसरण करती है।

दक्षिणः—सीमा निमिश खांगो से, जिसकी ऊंचाई 4890 मीटर है, प्रारम्भ होती है और किन्नौर एवं लाहौल–स्पीति की जिला सीमा का अनुसरण करती है तथा किन्नौर एवं लाहौल–स्पीति की जिला सीमा का अनुसरण करते हुए शाकारंग खांगो तक जाती है, जो 5365, 5280, 5205 और 5100 मीटर की ऊंचाइयों को स्पर्श करती है।

पश्चिमः—शाकारंग खांगो से, सीमा 5100 मीटर की ऊंचाई से होकर गुजरती है और उत्तर दिशा में कुल्लू एवं लाहौल–स्पीति की जिला सीमा के साथ आगे बढ़ती है, जो 5319 मीटर (पिन पार्वती दर्रा), 5470 मीटर, 6110 मीटर (जहां सीमा 'V' आकार बनाती है), 5845 मीटर, 5805 मीटर, 5741 मीटर, 5655 मीटर, 6243 मीटर, 6262 मीटर, 6222 मीटर, 6130 मीटर, 6507 मीटर, 6410 मीटर, 5810 मीटर, 6420 मीटर, 6245 मीटर, 5785 मीटर, 6360 मीटर तथा 6526 मीटर की ऊंचाइयों को स्पर्श करती हुई, लाहौल–स्पीति और कुल्लू की जिला सीमा का सर्वोच्च शिखर है, तक पहुंचती है।

सीमा विस्तार :

उत्तर : 32^0 12' 20.96" उत्तर, 77^0 52' 22.50" पूर्व
पूर्व : 31^0 59' 53.54" उत्तर, 78^0 00' 0.15" पूर्व
दक्षिण : $31^0$45' 01.93" उत्तर, 77^0 56' 16.50" पूर्व
पश्चिम : $31^0$59' 51.61" उत्तर, 77^0 47' 35.62" पूर्व

पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफलः 693.00 वर्ग किलोमीटर।

आदेश द्वारा,

कमलेश कुमार पंत
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of the Department Notification FFE-B-A/2/2025-FOREST-B dated 29th August, 2025 as required under Section 35 (1) of the Wildlife Protection Act, 1972].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th August, 2025

No. FFE-B-A/2/2025/Forest-B.—Whereas it appears to the Government of Himachal Pradesh that the following area is by reason of its ecological, faunal, floral, geomorphological or

Zoological association or importance, needed to be constituted as a National Park for the purpose of protecting propagating and developing Wildlife therein or its environment.

And whereas, vide the proposal No. WL/HP/Others/438456/2023, the proposal for alteration of boundaries of Pin Valley National Park, Himachal Pradesh by excluding 75.75 sq. k.m. and inclusion of 93.75 sq. k.m. was submitted on dated 28-07-2023 in PARIVESH 2.0 portal for approval of the National Board of Wildlife;

And whereas, the proposal for alteration of boundary of the Pin Valley National Park was recommended by the National Board of Wildlife *vide* its 80th meeting of the Standing Committee of the National Board for Wild Life held on 09-10-2024;

And whereas, as a consequence of alteration of boundary of Pin Valley National Park, out of total area of 675 Sq. k.m., 75.75 Sq. k.m. (comprising 13 Summer settlements, list attached as Annexure-I) is hereby excluded and is to be converted into Conservation Reserve and 93.75 Sq. k.m. area is hereby included;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (5) of Section 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare his intention to constitute the following areas as Pin Valley National Park, in Lahaul and Spiti District of Himachal Pradesh.

BOUNDARY :

NORTH:—North boundary starts from highest peak 6526 meter of the District boundary of Kullu, Lahaul & Spiti district and then follows the ridge Hungdunma up to height 6120 meter where district boundary forms V shape. Thereafter boundary moves towards East and follows the ridge separating the watershed of Guindi River (in the North) and Ratang River (in the South). Then boundary moves towards East and follows the ridge separating the watershed of Shanungba River, which is one of the tributaries of Ratang situated in the downstream in the East, and watershed of Ratang River upstream in the West up to its confluence with Ratang River and then crosses Ratang River, and then boundary follows a small ridge in the opposite side upto an elevation of 5700 meter and then boundary moves toward South-West and follows a ridge upto elevations of 5703 meter and 5950 meter, that is top of Kidulchu Nalla.

EAST:—From top of Kidulchu nalla at an elevation of 5950 meters, the boundary follows the Kidulchu nalla upto its confluence with Parahio River. From confluence of Kidulchu nalla boundary following a ridge separating the watershed of Kidulchu nalla in the North & Parahio River in the South touching elevations of 3908 meter, 4995 meter & ends at Thakarbo. Thereafter boundary follows a nalla near Khaminger River and falls into Parahio River and follows Parahio River towards downstream upto Thidim. From Thidim follows a ridge separating the watershed of Killung Khad in the South and watershed of Parahio River in the North touching elevations of 5083, 5490 meters upto origin of Dharbang Ridge & then follows the Dharbang Ridge upto Larang La at an elevation of 5375 meters. From Larang La boundary moves towards west following a ridge separating the watershed of Killung Khad in the North and watershed of Pin River in the south touching an elevation of 5885 meter, and follows the ridge upto an elevation of 5625 meters and 5520 meters upto top of Khuni Nalla, then follows Khuni Nalla upto its confluence of tributary of Pin River. From Khuni Nalla boundary touches

height of 4708 meters and follows a ridge between two tributaries of Pin River. Then follows a nalla upto tributary of Pin River at altitude 4340 meters. Thereafter follows a nalla coming from Nimish Khango at an elevation of 4890 meters.

SOUTH:—The boundary starts from Nimish Khango height 4890 meters and follows the district boundary of Kinnaur and Lahaul-Spiti and follows the district boundary of Kinnaur & Lahaul-Spiti upto Shakarang Khango touching elevations of 5365, 5280, 5205 and 5100 meters.

WEST:—From Shakarang Khango, the boundary passes through an elevation of 5100 meters and moves towards North along the district boundary of Kullu and Lahaul & Spiti touching elevations of 5319 meters (Pin Parbati Pass), 5470 meters, 6110 meters where boundary forms (V shape), 5845 meters, 5805 meters, 5741 meters, 5655 meters, 6243 meters, 6262 meters, 6222 meters, 6130 meters, 6507 meters, 6410 meters, 5810 meters, 6420 meters, 6245 meters, 5785 meters, 6360 meters & 6526 meters, the highest peak on the District Boundary of Lahaul & Spiti and Kullu.

Boundary Extent:

North : 32^0 12' 20.96" N, 77^0 52' 22.50" E

East : 31^0 59' 53.54" N, 78^0 00' 0.15" E

South : 31^0 45' 01.93" N, 77^0 56' 16.50" E

West : 31^0 59' 51.61" N, 77^0 47' 35.62" E

Area of Pin Valley National Park : 693.00 sq. km

By order,

K. K. PANT, IAS,
Additional Chief Secretary (Forest).

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 21 अगस्त, 2025

संख्याः पब–ए(3)–60 / 99–II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में कनिष्ठ कैमरामैन, ग्रुप–सी के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, कनिष्ठ कैमरामैन, ग्रुप–सी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.—**(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पब. ए (3)–60 / 99 तारीख 22 सितम्बर, 2018 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, कनिष्ठ कैमरामैन (वर्ग–III, अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /
(राकेश कंवर),
सचिव (सूचना एवं जन सम्पर्क)।

———————

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में कनिष्ठ कैमरामैन, ग्रुप–सी के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	**पद का नाम**	: कनिष्ठ कैमरामैन
2.	**पद (पदों) की संख्या**	: 14 (चौदह)
3.	**वर्गीकरण**	: ग्रुप –सी
4.	**वेतनमान**	: हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान (टाइम स्केल) से संलग्न पे–मैट्रिक्स का लेवल–10.
5.	**"चयन" पद अथवा "अचयन" पद।**	: लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती के लिए आयु**	: 18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात

की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत तथापि, पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गये थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पण.––सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को, आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया है, या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:

(क) अनिवार्य अर्हता(एं).––(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं पास हो:

परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दसवीं की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल / संस्थान से अवश्य उत्तीर्ण की होनी चाहिए:

परन्तु यह और कि यह शर्त स्थायी हिमाचल निवासियों के लिए लागू नहीं होगी।

(ii) केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई / अन्य संस्थान से डिजिटल फोटोग्राफी / फोटोग्राफी में डिप्लोमा / प्रमाण–पत्र रखता हो।

या

केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई / अन्य संस्थान से फोटोग्राफी / डिजिटल फोटोग्राफर में एनसीवीटी प्रमाण–पत्र रखता हो।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं).––(i) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या सूचना और जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त सरकारी / अर्ध–सरकारी / प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फोटोग्राफी का अनुभव हो।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगीं या नहीं.––आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––(क) सीधी भर्ती:

(i) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ii) सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति की दशा में, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर परिवीक्षा नहीं होगी।

(ख) प्रोन्नति.––(i) एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप उदाहरणार्थ ग्रुप–बी से ग्रुप–ए की दशा में दो वर्ष या पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।

(ii) एक ग्रेड से दूसरे परंतु पदो ंके समान वर्ग उदाहरणार्थ ग्रुप–सी से ग्रुप–सी, में प्रोन्नति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति.––भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति / सैकण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः

(क) शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या नियमितीकरण द्वारा भर्ती के आधार पर।

(ख) यथास्थिति, प्रोन्नति / सेकंडमेंट / स्थानांतरण द्वारा।

11. प्रोन्नति / सैकण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जाएगा.––हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों / केन्द्रीय सरकार से इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकण्डमैंट आधार पर।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति / स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.– (क) विभागीय प्रोन्नति समिति.––लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति.––जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा. ––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण और / या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण की योग्यता के आधार पर किया जाएगा, जिसका मानक / पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी / किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Pub-A (3)-60/99-II, dated 21-08-2025 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st August, 2025

No. Pub-A (3)-60/99-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal

Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Cameraman, Group-C in the Information and Public Relations Department, Himachal Pradesh as per Annexure- "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Information and Public Relations Department, Junior Cameraman, Group-C Recruitment and Promotion Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh, Department of Information and Public Relations, Junior Cameraman, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2018 notified *vide* this Department's Notification No. Pub-A(3)-60/99, dated 22-08-2018 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

Sd/-
(RAKESH KANWAR),
Secretary (I & PR).

Annexure-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR CAMERAMAN, GROUP-C IN THE DEPARTMENT OF INFORMATION & PUBLIC RELATIONS, HIMACHAL PRADESH

1.	Name of post	:	Junior Cameraman
2.	Number of post(s)	:	14 (Fourteen)
3.	Classification	:	GROUP-C
4.	Scale of Pay	:	"Level 10 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".
5.	Whether "Selection" post or "Non-Selection" post	:	Not applicable
6.	Age for direct recruitment	:	Between 18 to 45 years :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *adhoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—

(a) Essential Qualification(s).—(i) Matric from a recognized Board of School Education:

Provided that Matriculation should be passed from any school/Institution situated within Himachal Pradesh:

Provided further that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

(ii) Should posses Diploma/Certificate in Photography/Digital Photographer from an ITI/ other Institution recognized by the Central/State Government.

OR

Should possess NCVT Certificate in Photography/Digital Photographer from an ITI/other Institution recognized by the Central/State Government.

(b) Desirable Qualification.—(i) Experience of photography in a Government/Semi-Government/Print/Electronic media having accreditation from Information & Broadcasting Ministry, Government of India or Department of Information & Public Relations, Government of Himachal Pradesh.

(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable.

Educational qualification: Not applicable

9. Period of probation, if any,—

(a) Direct Recruitment.—(i) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(ii) No probation in the case of appointment on tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

(b) Promotion.—(i) Two years or the period of probation prescribed for direct recruitment to the post, if any, in the case of promotion from one group to another e.g. Group-B to Group- A.

(ii) No probation in case of promotion from one grade to another but within same class of posts *e.g.* from Group-C to Group-C.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment by regularization, as the case may be.

(b) By promotion /secondment/transfer, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made.—On secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other Himachal Pradesh Government/ Central Government Departments.

12. If a Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition?

(a) Departmental Promotion Committee.—Not applicable

(b) Departmental Confirmation Committee.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C) is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by Direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and/or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc, of which, will be determined by the recruiting agency/authority, as the case may be.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER,
KINNAUR DISTRICT, RECKONG-PEO (H.P.)

NOTIFICATION

Reckong-Peo,the 1st September, 2025

No. KNR-IX-27(MVA)/2025-1103952.—Whereas, the Sub-Divisional Officer (Civil), Nichar at Bhabanagar, District Kinnaur, after convening a meeting with the representatives of the Horticulture Department, Tehsildar/Naib Tehsildar Nichar, representatives of HPPWD, NH, Jal Shakti Vibhag, Zila Parishad & BDC Members, Truck Operators' Union, and apple growers/ horticulturists of Nichar Sub-Division, has proposed the transportation and freight charges of apples per quintal per kilometre for trucks, pickups, and LTVs from various locations of Nichar Sub-Division to different markets across the country for the apple season of the year 2025.

Now, therefore, I, Dr. Amit Kumar Sharma, IAS**,** Deputy Commissioner, District Kinnaur, taking into consideration the proposal submitted by the Sub-Divisional Officer (C), Nichar, do hereby notify the apple transportation freight rates as per **"Annexure-A"**, applicable to Nichar Sub-Division of Kinnaur District for the transportation of apples during the current apple season, 2025.

Any attempt to overcharge can result in legal action against defaulting Truck Operator/Truck Union/Pick-up & Camper owners.

Sd/-
(DR. AMIT KUMAR SHARMA, IAS),
Deputy Commissioner,
Kinnaur District, R/Peo (H.P.).

Annexure-A

उप-मण्डल निचार स्थित भाबानगर में वर्ष 2025 हेतु सेब ढुलाई के सन्दर्भ में ट्रक/पिकअप व एल0टी0वी0 के लिए प्रति कि0मी0 प्रति क्विंटल सपाट प्रस्तावित सेब ढुलाई भाड़ा दर

क्र0 सं0	सेब ढुलाई कहां से कहां तक वाहन अनुसार	सेब ढुलाई हेतु प्रति कि0 मी0 प्रति क्विंटल भाड़ा दर
1.	निचार उप–मण्डल से चण्डीगढ़ तक (8 से 12 टन के क्षमता वाले ट्रक के लिए)।	₹ 1.40
2.	निचार उपमण्डल के सभी क्षेत्रों से चण्डीगढ़ से आगे सभी मंडियो के लिए भाड़ा।	₹ 90 पैसा
3.	पिकअप/एल0टी0वी0 (40 कि0 मी0 से कम)	₹ 5.40
4.	पिकअप/एल0टी0वी0 (40 कि0 मी0 से अधिक के दायरे में)	₹ 4.42

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER,
KINNAUR DISTRICT, RECKONG-PEO (H.P.)

NOTIFICATION

Reckong-Peo, the 1st September, 2025

No. KNR-IX-27(MVA)/2025-1103953.—Whereas, the Sub-Divisional Officer (Civil), Kalpa at Reckong Peo, District Kinnaur, after convening a meeting with the representatives of the Horticulture Department, Agricultural Produce Market Committee (APMC), Zila Parishad Members, and concerned Gram Panchyat Pradhan's of Kalpa block and representatives of Truck Operators' Union Reckong Peo, and apple growers/horticulturists of Kalpa Sub-Division, has proposed the transportation and freight charges of apples per quintal per kilometre for trucks, pickups, and LTVs from various locations of Kalpa Sub-Division to different markets across the country for the apple season of the year 2025.

Now, Therefore, I, Dr. Amit Kumar Sharma, IAS, Deputy Commissioner, District Kinnaur, taking into consideration the proposal submitted by the Sub-Divisional Officer (C), Kalpa, do hereby notify the apple transportation freight rates as per **"Annexure-A"**, applicable in Kalpa Sub-Division of Kinnaur District for the transportation of apples during the current apple season, 2025.

Any attempt to overcharge can result in legal action against defaulters Truck Operator/Truck Union/Pick-up & Camper owners.

Sd/-
(DR. AMIT KUMAR SHARMA, IAS),
Deputy Commissioner,
Kinnaur District, R/Peo (H.P.).

Annexure-A

उप–मण्डल कल्पा स्थित रिकांगपिओ में वर्ष 2025 हेतु सेब ढुलाई के सन्दर्भ में ट्रक/पिकअप व एल०टी०वी० के लिए प्रति कि०मी० प्रति क्विंटल सपाट प्रस्तावित सेब ढुलाई भाड़ा दर

क्र० सं०	सेब ढुलाई कहां से कहां तक वाहन अनुसार	सेब ढुलाई हेतु प्रति कि०मी० प्रति क्विंटल भाड़ा दर
1.	कल्पा ब्लॉक से चण्डीगढ़ तक 10 व 12 टन के क्षमता वाले ट्रक के लिए।	₹ 1.20 रु0
2.	कल्पा ब्लॉक से चण्डीगढ़ तक (ट्रक जिनकी वजन उठाने की क्षमता 10 टन से कम है।	₹ 1.40 रु0
3.	चण्डीगढ़ से दिल्ली (सभी प्रकार के मालवाहक वाहन।	₹ 72 पै0
4.	पिकअप/एल0टी0वी० 40 कि० मी० से कम।	₹ 5.50 रु0
5.	पिकअप//एल०टी०वी० (40 कि० मी० से अधिक के दायरे में)	₹ 4.50 रु0

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER,
KINNAUR DISTRICT, RECKONG-PEO (H.P.)

NOTIFICATION

Reckong-Peo, the 1st September, 2025

No. KNR-IX-27(MVA)/2025-1103954.—Whereas, the Additional District Maagistrate Pooh, District Kinnaur, after convening a meeting with the Tehsildar Pooh/Moorang, Horticulture Department, SHO PS Pooh, representatives of HPPWD, RCC(Gref) Powari/Pooh, Truck Operators' Union, and apple growers/horticulturists and concerned Gram Panchayat Pradhan's of Pooh Sub-Division, has proposed the transportation and freight charges of apples per quintal per kilometre for trucks, pickups, and LTVs from various locations of Pooh Sub-Division to different markets across the country for the apple season of the year 2025.

Now, therefore, I, Dr. Amit Kumar Sharma, IAS**,** Deputy Commissioner, District Kinnaur, taking into consideration the proposal submitted by the Additional District Magistrate Pooh, do hereby notify the apple transportation freight rates as per **"Annexure-A"**, applicable in Pooh Sub-Division of Kinnaur District for the transportation of apples during the current apple season, 2025.

Any attempt to overcharge can result in legal action against defaulting Truck Operators/Truck Union/Pick-up & Camper owners.

Sd/-
(DR. AMIT KUMAR SHARMA, IAS),
Deputy Commissioner,
Kinnaur District, R/Peo(HP).

Annexure-A

उप–मण्डल पूह में वर्ष 2025 हेतु सेब ढुलाई के सन्दर्भ में ट्रक/पिकअप व एल०टी०वी० के लिए प्रति कि०मी० प्रति क्विंटल सपाट प्रस्तावित सेब ढुलाई भाड़ा दर

क्र० सं०	सेब ढुलाई कहां से कहां तक वाहन अनुसार	सेब ढुलाई हेतु प्रति कि०मी० प्रति क्विंटल भाड़ा दर
1.	पूह उप–मण्डल के सभी क्षेत्रों से चण्डीगढ़ तक की सभी मंडियों के लिए भाड़ा।	₹ 1.30 रु0
2.	पूह उप–मण्डल के सभी क्षेत्रों से चण्डीगढ़ से आगे सभी मंडियों के लिए भाड़ा।	₹ 0.90 पैसा

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd September, 2025

No. Health-C-A(4)1/2025.—In exercise of the powers conferred in 16A (1) of Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 and in supersession of Notification No. Health-A-A(4)-2/2008, dated 28-04-2018, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the State Supervisory Board as under:—

Official Members:

1.	The Minister (Health and Family Welfare) H.P.	*Chairman*
2.	The Secretary (Health and Family Welfare) to the Government of Himachal Pradesh.	*Vice-Chairperson*
3.	The Secretary (SJE) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
4.	The Secretary (Ayush) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
5.	LR-*cum*-Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
6.	The Director, Health Services, Himachal Pradesh.	*Member*
7.	The Director, Health Safety & Regulation, Himachal Pradesh.	*Member Secretary*
8.	The Mission Director, National Health Mission, Himachal Pradesh.	*Member*
9.	The Director, Medical Education and Research, Himachal Pradesh.	*Member*
10.	Head of Department of Radiology, IGMC Shimla.	*Member*
11.	All District Appropriate Authorities-*cum*-Chief Medical Officers in Himachal Pradesh.	*Member*

Non-Official Member:

1.	Smt. Reena Kashyap	MLA (55 Pachhad)
2.	Smt. Kamlesh Thakur	MLA (10-Dehra)
3.	Miss. Anuradha Rana	MLA (21- Lahaul & Spiti)
4.	Sh. Arvind Kumar Rattan	s/o Sh. Dalip Singh, O/A Chamber No. 97, Near Judicial Court Complex Chakkar, Shimla-171005. Mob. No. 82194-27983

5.	Sh. Amandeep Singh, Advocate	Pushpsamriti Niwas, Mahaveer Ghat, Near Sankat Mochan Temple, Shimla. Mob. No. 98825-98162
6.	Ms. Sangeeta Thakur	Chambaghat Chowk, Ward No. 4, Solan, Himachal Pradesh. Mob. No. 82191-57510
7.	Dr. Raj Dhiman	w/o Sh. K.C. Dhiman, VPO Kashmir, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh. Mob. No. 98166-03411

The functions and the terms and condition of the State Supervisory Board will be as prescribed in the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994.

By order,

Sd/-
Secretary (Heatlh).

ब अदालत श्री धर्मपाल, उप–मण्डलाधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री कश्मीर सिंह पुत्र श्री राम लाल, निवासी गांव कल्लरी, डाकघर नकराणा, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता,
2. प्रधान, ग्राम पंचायत घवांडल, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर।

विषय.––प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत घवांडल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी कश्मीर सिंह ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु ग्राम पंचायत घवांडल, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाई है। अब प्रार्थी अपनी पत्नी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत घवांडल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जोकि निम्न प्रकार से हैः––

क्र0 सं0	नाम	सम्बन्ध	मृत्यु तारीख
1.	लता देवी	पत्नी श्री कश्मीर सिंह	07–10–2019

अतः ग्राम पंचायत घवांडल, तहसील श्री नैना देवी जी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 23–09–2025 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन–पत्र पर मृत्यु पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत घवांडल को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 13–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(धर्मपाल हि0प्र0से0),
उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक),
श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Sheela Devi d/o Rangilu Ram, r/o Village Katoh, P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Sheela Devi d/o Rangilu Ram, r/o Village Katoh, P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering date of birth 02-03-1965 could not be registered in the record of Gram Panchayat Sadhrian.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Sheela Devi d/o Rangilu Ram may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 21-09-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

————————

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Kashmiri Devi d/o Vasant Ram, r/o Village Dho, P.O. Kanjian, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Kashmiri Devi d/o Vasant Ram, r/o Village Dho, P.O. Kanjian, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering date of birth 10-10-1964 which could not be registered in the record of Gram Panchayat Kanjian.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Kashmiri Devi d/o Vasant Ram may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 19-09-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Kamalawati d/o Bhagat Ram, r/o Village Bhogwan, P.O. Nagrota, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Kamalawati d/o Bhagat Ram, r/o Village Bhogwan, P.O. Nagrota, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules,

2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering date of birth 05-05-1932 which could not be registered in the record of Gram Panchayat Dhirar.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Kamalawati d/o Bhagat Ram may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 18-09-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Chanchlo Devi d/o Khajana Ram, r/o Village Bhukkar, P.O. Bhukkar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Chanchlo Devi d/o Khajana Ram, r/o Village Bhukkar, P.O. Bhukkar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering date of birth 26-10-1966 which could not be registered in the record of Gram Panchayat Bhukkar.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Chanchlo Devi d/o Khajana Ram may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 13-09-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, बड़सर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण।

शीर्षक :

कमला देवी

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना–पत्र.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती कमला देवी पुत्री सुंदर सिंह, वासी सुफान, डाकघर रोपडी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन–पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पति श्री सुंदर सिंह, वासी सुफान, डाकघर रोपडी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 के परिवार में दिनांक 04–06–1964 को हुआ है परन्तु उस समय अज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत लोहडर के अभिलेख में न करवाया गया है। प्रार्थिया का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत लोहडर को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिये जावें।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी को भी कमला देवी पुत्री सुंदर सिंह, वासी सुफान, डाकघर रोपडी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 के नाम एवं जन्म तिथि 04–06–1964 के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत / कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्यदिवस को असालतन या वकालतन दिनांक 15–09–2025 से पूर्व पेश कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक के उपरान्त पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन–पत्र पर नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
38 / NT/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	22–08–2025	10–09–2025

सुश्री आशा रानी पुत्री ओंकार चन्द, वासी मोहाल भटेडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... वादिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री आशा रानी पुत्री ओंकार चन्द, वासी मोहाल भटेडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण प्रार्थिया सुश्री आशा रानी पुत्री ओंकार चन्द, वासी मोहाल भटेडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक

04–01–1969 को ग्राम पंचायत पनोह में हुआ था तथा सहवन गलती से ग्राम पंचायत पनोह में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत पनोह में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 10–09–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 21–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
37 / NT/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	21–08–2025	10–09–2025

सुश्री संतोष कुमारी पुत्री प्रसिन्दा सिंह, वासी मोहाल वार्ड नं0 5, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... वादिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री संतोष कुमारी पुत्री प्रसिन्दा सिंह, वासी मोहाल वार्ड नं0 5, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण प्रार्थिया संतोष कुमारी पुत्री प्रसिन्दा सिंह, वासी मोहाल वार्ड नं0 5, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 15–01–1969 को ग्राम पंचायत सुजानपुर में हुआ था तथा सहवन गलती से ग्राम पंचायत सुजानपुर में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत सुजानपुर में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 10–09–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 21–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत पूजा अधिकारी (हि0प्र0से0) सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
91 / 25 / TEH	27–08–2025	08–09–2025

प्रार्थी युसफ मसीह पुत्र नाजर मसीह पुत्र अच्छर मसीह, निवासी महाल व मौजा नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि महाल पटारकड़ा, मौजा नंदेहड़, पटवार वृत्त मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम जोसफ मसीह पुत्र नाजर मसीह दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम यूसफ मसीह दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम जोसफ मसीह के बजाये जोसफ मसीह उर्फ यूसफ मसीह पुत्र नाजर मसीह स्थित महाल पटारकड़, पटवार वृत्त मटौर में दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 08–09–2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27–08–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
45 / 2025	26–08–2025	08–09–2025

प्रार्थी हरवंश लाल पुत्र मेहर सिंह, निवासी गांव अवदुल्लापुर, डाकघर जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

प्रार्थना–पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रार्थी हरवंश लाल पुत्र मेहर सिंह, निवासी गांव अवदुल्लापुर, डाकघर जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पिता स्व0 श्री मेहर सिंह पुत्र राम दिता की मृत्यु दिनांक 05–11–1999 को हुई थी। लेकिन उक्त मृत्यु तारीख ग्राम पंचायत अवदुल्लापुर के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण के बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 08–09–2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 27–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
46 / 2025	26–08–2025	08–09–2025

प्रार्थिया श्रीमती गुड्डो सुपुत्री दिलो राम, निवासी गांव प्रेई, डाकघर सलोल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

प्रार्थना–पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती गुड्डो सुपुत्री दिलो राम, निवासी गांव प्रेई, डाकघर सलोल, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 01–07–1976 को हुआ था। लेकिन उक्त जन्म पंजीकरण तारीख ग्राम पंचायत वोहरकवालू के रिकार्ड में दर्ज न हो सका। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 08–09–2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 27–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
89 / 2025 / TEH	06–08–2025	08–09–2025

प्रार्थिया श्रीमती रीना देवी सुपुत्री मेहरो पुत्र तुलसी हाल पत्नी राज कुमार, निवासी गांव उपाहू, डाकघर सुकड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल गगल खास, पटवार वृत्त गगल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व रिकार्ड में श्रीमती निशा देवी सुपुत्री मेहरो दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का नाम श्रीमती रीना देवी सुपुत्री मेहरो दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम श्रीमती निशा देवी की बजाए श्रीमती रीना देवी उर्फ श्रीमती निशा देवी सुपुत्री मेहरो पुत्र तुलसी दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 08–09–2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27–08–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
86 / 2025 / TEH	06–08–2025	08–09–2025

प्रार्थिया श्रीमती विन्ता देवी सुपुत्री मेहरो पुत्र तुलसी हाल पत्नी राज कुमार, निवासी गांव उपाहू, डाकघर सुकड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल गगल खास, पटवार वृत्त गगल, तहसील व जिला कांगड़ा,

हि0प्र0 के राजस्व रिकार्ड में श्रीमती विन्ता देवी सुपुत्री मेहरो दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का नाम श्रीमती कमलेश कुमारी दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम श्रीमती विन्ता देवी की बजाए श्रीमती कमलेश कुमारी सुपुत्री मेहरो दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 08–09–2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27–08–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
87 / 2025 / TEH	06–08–2025	08–09–2025

प्रार्थी सुकेश कुमार पुत्र प्रताप चन्द उपनाम करतार चन्द, निवासी गांव छोटी वही, डाकघर गांहलिया, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल घडूंह, पटवार वृत्त गांहलिया, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व रिकार्ड में मुकेश कुमार पुत्र प्रताप चन्द उपनाम करतार चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम सुकेश कुमार पुत्र प्रताप चन्द उपनाम करतार चन्द दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम मुकेश कुमार की बजाए सुकेश कुमार पुत्र प्रताप चन्द उपनाम करतार चन्द दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 08–09–2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27–08–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्रीमती Pawana Devi d/o Late Doda Ram, r/o Village Kasba Narwana, P.O. Yol Cantt., Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती Pawana Devi d/o Late Doda Ram, r/o Village Kasba Narwana, P.O. Yol Cantt., Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self Pawana Devi d/o Late Doda Ram का जन्म दिनांक 01–01–1968 को हुआ है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा / मुश्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Pawana Devi के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23–09–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Sh. Sonu Kumar s/o Late Sh. Pritam Chand, r/o Village Jhikli Barol, P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Sonu Kumar s/o Late Sh. Pritam Chand, r/o Village Jhikli Barol, P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Grand Father Parma s/o Lalu की मृत्यु दिनांक 12–06–1995 को हुई थी परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाएं। इस नोटिस के द्वारा / मुश्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Parma के मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह

हमारी अदालत में दिनांक 23–09–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 35 / 15, 38 / 15, 30 / 15, 34 / 15, 32 / 15, 33 / 15, 36 / 15 किस्म मुकद्दमाः तकसीम

श्री सुधीर सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह व श्री राजीव कुमार पुत्र प्राण नाथ पुत्र तरलोक चंद, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. अमित कुमार पुत्र ब्रहमा नाथ पुत्र मखोली, 2. सावित्री देवी पुत्री मखोली राम पुत्र गुंघर, 3. राकेश कुमार, सरोज देवी, छुमा देवी विधया देवी विधवा छोंटु राम पुत्र मखोली राम, 4. सुनील कुमार पुत्र कर्म चंद पुत्र मखोली राम, 5. विधया देवी, सुवधरा देवी पुत्री मुसाफिर राम, 6. राकेश कुमार, आशा देवी, संतोष देवी, माया देवी, विधवा मदन लाल पुत्र जफली, 7. धर्म चंद पुत्र जफली, 8. राजेश कुमार, संजय कुमार, गंगा देवी पुत्री मोती राम, 9. मिलाप चंद, रमेश चंद, बिमला देवी, ईंदरा पुत्री सूती, 10. सुखचैन, सुखदेव सिंह, सुभप्रेम सिंह रचना देवी पुत्री संध्या देवी, 11. ओम प्रकाश, सर्व चंद, कमलेश, बुधी सिंह, लक्ष्मी देवी पुत्री किशन दास पुत्र राम दित्ता, 12. अर्जुन सिंह, गलोरा राम, सुंदर सिंह, काया देवी, केसरो देवी पुत्री खवरीय पुत्र संत, 13. सत्या देवी विधवा गोवर्धन चंद, 14. अमर सिंह पुत्र सालिग्राम 15. ईश्वर दास पुत्र हंस, निवासी महाल सिद्धपुर, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.––तकसीम भूमि खाता नं0 73, खतौनी नं0 200, खसरा कित्ता 2, रकबा तादादी 00–56–58 है0, खाता नं0 78, खतौनी नं0 207 ता 209, कित्ता 6, रकबा तादादी 00–82–86 है0, खाता नं0 80, खतौनी नं0 211, खसरा नं0 1476, रकबा तादादी 0–8–20 है0, खाता नं0 81, खतौनी नं0 212, खसरा नं0 1473, रकबा तादादी 00–08–76 है0, खाता नं0 82, खतौनी नं0 213, खसरा नं0 1474, रकबा तादादी 00–11–58 है0, खाता नं0 83, खतौनी नं0 214, खसरा नं0 837, रकबा तादादी 00–01–23 है0, खाता नं0 98, खतौनी नं0 241, कित्ता 3, रकबा तादादी 00–02–03 है0 व खाता नं0 183, खतौनी नं0 366, खसरा कित्ता 2, रकबा तादादी 00–01–35 है0 वाक्या महाल सिद्धपुर, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थना–पत्र श्री सुधीर सिंह पुत्र श्री प्रकाश सिंह पुत्र रसल सिंह, निवासी महाल दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 द्वारा प्रार्थना–पत्र तकसीम बारे गुजारा है जिसका तरीका तकसीम जारी हो चुका था, परन्तु इस तकसीम में अब विद्या देवी व सुभद्रा देवी द्वारा प्रार्थना–पत्र Sub-Divisional Megistrate की अदालत में दिया है जिसमें श्रीमती विद्या देवी व सुभद्रा देवी भी अपना खाता अलग करवाना चाहती हैं व इस बारे वादीगण को कोई भी एतराज न है। इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुश्त्री मुनादी व इश्तहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम से प्रतिवादी विद्या देवी व सुभद्रा देवी का खाता अलग करने बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो दिनांक 22–09–2025 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा

हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 23–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

————————

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Puneet Malhotra s/o Sh. Gagan Pradeep Malhotra, r/o H. No. 794, Block No. 47, Near DAV Public Sector 4, New Shimla, Post Office New Shimla Kasumpti, Distt. Shimla, H.P.

2. Smt. Kamakshi Dhawan d/o Sh. Harish Dhawan, r/o H. No. 167/7, Upper Samkhetar, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi H.P. . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the Registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Puneet Malhotra s/o Sh. Gagan Pradeep Malhotra, r/o H. No. 794, Block No. 47, Near DAV Public Sector 4, New Shimla, Post Office New Shimla Kasumpti, Distt. Shimla, H.P. and Smt. Kamakshi Dhawan d/o Sh. Harish Dhawan, r/o H. No. 167/7, Upper Samkhetar, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (at present wife Sh. Puneet Malhotra s/o Sh. Gagan Pradeep Malhotra, r/o H. No. 794, Block No. 47, Near DAV Public Sector 4, New Shimla, Post Office New Shimla Kasumpti, Distt. Shimla, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-10-2024 according to Hindu rites and customs at Place Hotel Raj Mahal Mandi, Distt. Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-09-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 25th day of August, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Kasim Khan s/o Jainudeen, V.P.O. Kiwana, Tehsil & Distt. Shamli, Utter Pradesh-247 775.

2. Momina d/o Sh. Umardin, r/o Thanehra Mohalla Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the Registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Kasim Khan s/o Jainudeen, V.P.O. Kiwana, Tehsil & Distt. Shamli, Uttar Pradesh-247 775 and Momina d/o Sh. Umardin, r/o Thanehra Mohalla Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (at present wife of Kasim Khan s/o Jainudeen, V.P.O. Kiwana, Tehsil & Distt. Shamli, Uttar Pradesh-247 775) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 08-10-2022 according to Muslim rites and customs at their respective houses Mandi, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-09-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 25th day of August, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).

ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)

सुमित्रा पुत्री स्व0 रमेश चन्द, निवास ग्राम शिक्यार, डाकघर नेरुवा, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . प्रत्यार्थी

विषय.––प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नेरुवा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया सुमित्रा पुत्री स्व0 रमेश चन्द, निवास ग्राम शिक्यार, डाकघर नेरुवा, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नेरुवा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थिया अब अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नेरुवा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहती है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	सुमित्रा	स्वयं	07–11–1980

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन–पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत नेरुवा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 07–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(कुश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा,
जिला शिमला (हि0 प्र0)

अरशा बीबी पत्नी विनयबीन, ग्राम निवासी दाछी, डाकघर पौडिया, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ..... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थी

विषय.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पौडिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया अरशा बीबी पत्नी विनयबीन, ग्राम निवासी दाछी, डाकघर पौडिया, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री व पुत्रों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौडिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थिया अब अपने पुत्री व पुत्रों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौडिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहती है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	समईया	पुत्री	15–02–2017
2.	आसिफ	पुत्र	20–05–2019
3.	मोहम्मद सईद	पुत्र	12–09–2020
4.	सुफियान	पुत्र	15–01–2025

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन–पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत पौडिया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 21–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(कुश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा,
जिला शिमला (हि0 प्र0)**

श्री नूर अहमद पुत्र श्री मानू, निवास ग्राम तरशानू, डाकघर रूसलाह, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..प्रत्यार्थी

विषय.––प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रूसलाह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री नूर अहमद पुत्र श्री मानू, निवासी ग्राम तरशानू, डाकघर रूसलाह, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्रों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत रूसलाह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपने पुत्रों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत रूसलाह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	मुस्ताकीम	पुत्र	25–12–2004
2.	यूनस	पुत्र	01–03–2018

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन–पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत रूसलाह को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 21–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(कुश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री सत पाल राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्रीमती स्वीटी पत्नी श्री मनोज कुमार, गांव नण्डला, डाकघर व उप–तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

इश्तहार बनाम आम जनता।

श्रीमती स्वीटी पत्नी श्री मनोज कुमार, निवासी नण्डला, डाकघर व उप–तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसके पति का नाम मनोज कुमार व बेटे का नाम गौरव है उसने आग्रह किया है कि उसके पति व बेटे का नाम गलती से आधार कार्ड में मनोज शर्मा व गौरव शर्मा छप गया है। उसके पति व बेटे का परिवार रजिस्टर में हिमाचली प्रमाण–पत्र, स्कूल प्रमाण–पत्र में मनोज कुमार व गौरव है, जो सही है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उसके पति व बेटे के नाम बारे किसी को यदि कोई शिकायत हो तो वह भीतर एक माह अपना उजर / एतराज इस न्यायालय में आकर प्रस्तुत कर सकता है यदि कोई उजर / एतराज प्रस्तुत नहीं होता है तो उसके पति का नाम मनोज कुमार पुत्र श्री शरदा नन्द व बेटे का नाम गौरव पुत्र श्री मनोज कुमार, निवासी नण्डला, डाकघर व उप–तहसील जांगला, जिला शिमला (हि0 प्र0) व आधार कार्ड में मनोज कुमार व गौरव नाम दर्ज करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 30–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(सत पाल राणा),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जांगला, जिला शिमला, हि0प्र0।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

वाद संख्या : 09 / 25 तारीख दायर : 19–07–2025

श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी स्व0 श्री सतीष कुमार, निवासी गांव व डा0 झाखड़ी, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.–प्रार्थना–पत्र बाबत ग्राम पंचायत झाखड़ी, तहसील रामपुर में नाम व जन्म पंजीकरण बारे।

यह दरख्वास्त श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी स्व0 श्री सतीष कुमार, निवासी गांव व डा0 झाखड़ी, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में अपने बेटे युग नेगी पुत्र स्व0 श्री सतीष कुमार का नाम व जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत झाखड़ी, तहसील रामपुर में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्फिया दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि ज्ञान न होने के कारण वह अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत झाखड़ी, तहसील रामपुर में दर्ज न कर सकी। प्रार्थिया के बेटे का नाम व जन्म तिथि निम्न हैः–

क्रम संख्या	प्रार्थिया के बेटे का नाम	तारीख जन्म
1.	युग नेगी पुत्र स्व0 श्री सतीष कुमार	06–02–2018

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वयाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत झाखड़ी में प्रार्थिया के बेटे (युग नेगी) का नाम व जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह इश्तहार प्रकाशन के एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 25–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Gagan Thakur s/o Late Sh. Satya Prakash, r/o Ward No. 4, Brow Road Rampur, P.O. and Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh

2. Smt. Lovely d/o Sh. Pyare Lal, r/o Village Koti, P.O, Dhar Gaura, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997)

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 06-03-2025 at Satya Narayan Mandir, Rampur, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh with prevailing rites and customs but due to some unavoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Rampur Bushahr, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh.

And whereas, they have also stated that the said marriage has not been registered till today at M.C. Rampur, Tehsil Rampur due to some unavoidable circumstances and having busy schedule due to their profession and now, therefore, necessary order of the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, obejection are invited from the general publice that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned on or before 24-09-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so order shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 25th day of August, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chopal, District Shimla (H.P.)

In the matter of : Case No...../2025

Sh. Sur Dass s/o Sh. Dohru, r/o Village Menoti, P.O. Thangar, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondant.*

Notice/Proclamation Regarding Correction of Name of Shri Sur Dass.

Whereas, applicant Sh. Sur Dass s/o Sh. Dohru, r/o Village Menoti, P.O. Thangar, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) has submitted an application to this court with the request that in Revenue Record Revenue, Village Menoti Patwar Circle Kiran and in the Aadhar Card his name has been entered as Surender. Which is wrong. His correct name is Sur Dass. In support he has attached the copy of family register, copy of Aadhar Card and copy of Jamabandi for the year 2019-20 Revenue Village Menoti. In the Revenue record, Revenue Village Menoti has name may be corrected as Sur Dass in place of Surender as per the Panchayat Record.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, any one has any objection regarding correction of name from Surender to Sur Dass in the Revenue record, Revenue Village Menoti and in the Aadhar Card, they may appear before the undersigned on or before 25-09-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order will be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 23rd day of August, 2025 under my hand and seal of the Court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,
Chopal, District Shimla (H.P.).

Before Shri Ashok Kumar, Executive Magistrate-cum-**Naib-Tehsildar, Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh**

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
21/2025	22-08-2025	23-09-2025

Sh. Sanjeev s/o Sh. Gurbax Ram, r/o House No. 15C, Mashobra Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.

. .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondents.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Sanjeev s/o Sh. Gurbax Ram, r/o House No. 15C, Mashobra Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that he was born on 01-01-1980 at House No. 15C, Mashobra Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. as per affidavit furnished by the applicant & relevent document attached in case file, but his date of birth could not be registered in the record of Cantonment Board Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh within stipulated period.

Hence he prayed for passing necessary orders to the Chief Executive Officer-*cum*-Registrar-Births & Deaths Registration of Cantonment Board Kasauli, for entering the same in the birth and death records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Sh. Sanjeev s/o Sh. Gurbax Ram s/o Smt. Pani may submit their objections in writing in this court on or before 23-09-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 23rd day of August, 2025.

Seal.

Sd/-
(ASHOK KUMAR),
Executive Magistrate-cum- Naib-Tehsildar,
Kasauli, District Solan (H. P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री राजीव कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव भरोवड, डाकघर पलोह, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करवाने बारे।

अखबारी इश्तहार / मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

श्री राजीव कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव भरोवड, डाकघर पलोह, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके चाचा श्री पुरशोतम पुत्र लालू की मृत्यु दिनांक 16–02–1995 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उक्त मृत्यु का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं हो सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु दर्ज करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20–09–2025 को दोपहर 02.00 बजे या उससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत हो कर पेश करें, अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उक्त मृत्यु दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री योगराज पुत्र श्री शम्भु पुत्र कैलू, निवासी गांव धंधडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करवाने बारे।

इश्तहार / मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

श्री योगराज पुत्र श्री शम्भु पुत्र कैलू, निवासी गांव धंधडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी श्रीमती भगवती देवी की मृत्यु दिनांक 07–09–2011 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उक्त मृत्यु का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं हो सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु दर्ज करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20–09–2025 को दोपहर 02.00 बजे या उससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत हो कर पेश करें, अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उक्त मृत्यु दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमाः	तारीख दायरः	तारीख पेशीः
33/Marriage/T/U/2025	विवाह पंजीकरण	22–08–2025	24–09–2025

1. श्री गौरव पुरी पुत्र अशोक पुरी, वासी वार्ड नं0 6, मोहल्ला शिवाला, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 व पल्लवी कौशल हाल पत्नी गौरव पुरी पुत्री पंकज कौशल, वासी मकान नं0 109, वार्ड नं0 06, संतोखगढ़ चढतगड़, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी।

प्रार्थना–पत्र.––शादी पंजीकरण श्री गौरव पुरी पुत्र अशोक पुरी, वासी वार्ड नं0 6, मोहल्ला शिवाला, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण के इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार 27–07–2024 को पल्लवी कौशल हाल पत्नी गौरव पुरी पुत्री पंकज कौशल, वासी मकान नं0 109, वार्ड नं0 06, संतोखगढ़ चढतगड़, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 से हुई है परन्तु यह शादी सहवन गलती के कारण एम0सी0 ऊना के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादी को एम.सी. ऊना में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि के लिए आधार कार्ड शपथ–पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना–पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश / मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 24–09–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर / एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 22–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

———————

CHANGE OF NAME

I, Rajinder Kumar s/o Sh. Hans Raj, r/o Village Chandi, P.O. Athed, Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Aarav Thakur to Navneet Thakur for all purposes in future. All concerned please note.

RAJINDER KUMAR
s/o Sh. Hans Raj,
r/o Village Chandi, P.O. Athed,
Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.).

———————

CHANGE OF NAME

I, Jeewan Kumar s/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Dulehra, P.O. & Tehsil Hamirpur, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Shreja Kapil to Sreeja Kapil for all purposes in future. Please note.

JEEWAN KUMAR
s/o Sh. Suresh Kumar,
r/o Village Dulehra,
P.O. & Tehsil Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dhayan Singh s/o Sh. Kanshi Ram, r/o Village Bhatera, P.O. Jol Lambri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Dhian Chand to Dhayan Singh for all purposes in future. Please note.

DHAYAN SINGH
s/o Sh. Kanshi Ram,
r/o Village Bhatera, P.O. Jol Lambri,
Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Himachla Devi w/o Sh. Nandesh Kumar, r/o Village Gailla, P.O. Sarol, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Prinyaka Sharma to Priyanka Sharma for all purposes in future. Please note.

HIMACHLA DEVI
w/o Sh. Nandesh Kumar,
r/o Village Gailla, P.O. Sarol,
Tehsil & District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mohinder Kumar s/o Sh. Jai Lal, r/o Village Tai-Sural, P.O. Tai, Tehsil Pangi, District Chamba (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Ansh Thakur to Rachit Thakur for all purposes in future. Please note.

MOHINDER KUMAR
s/o Sh. Jai Lal,
r/o Village Tai-Sural, P.O. Tai,
Tehsil Pangi, District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Lkhwinder Singh s/o Sh. Gurcharan Singh, r/o Kunja Matralion, Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) declare that my correct name is Lakhbir Singh, but in my Aadhar Card my name has been wrongly entered/printed as Ikhwinder Singh both the names Ikhwinder Singh & Lakhbir Singh belongs to one & the same person. All concerned may please note.

LKHWINDER SINGH
s/o Sh. Gurcharan Singh,
r/o Kunja Matralion,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jai Lal s/o Sh. Thakur Dass, r/o Village Rehadi, P.O. Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.)-175011 declare that I want to change my minor son's name from Bhuteshwar Thakur to Bhovneshwar Thakur in his Aadhar Card No. 6118 0967 0417. All concerned please note.

JAI LAL
s/o Sh. Thakur Dass,
r/o Village Rehadi, P.O. Bhanthal,
Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shivali Thakur w/o Sh. Rakesh Rana, r/o Shiv Niwas, Phase-3, New Shimla (H.P.) declare that my name is Shivali Thakur but is wrongly recorded as Shivali Rana in my daughter Shreeja Rana's CBSE Class 10th Mark Sheet for 2025.

SHIVALI THAKUR
w/o Sh. Rakesh Rana,
r/o Shiv Niwas, Phase-3, New Shimla (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।